भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 446
उत्तर देने की तारीख 03 अप्रैल, 2023
सोमवार, 13 चैत्र, 1945 (शक)

कौशल विकास के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा

***446. श्री रमेश बिन्द:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के भदोही में कौशल विकास पहल के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(ख) प्रशिक्षण के पश्चात् कितने विद्यार्थियों को किसी सरकारी अथवा निजी प्रतिष्ठान में प्लेसमेंट/नौकरी मिली है;

(ग) क्या प्रशिक्षण के पश्चात् विद्यार्थियों ने स्वरोजगार हेतु मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया; और

(घ) यदि हां, तो इन युवा प्रशिक्षुओं को अपना कार्य शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए कुल मुद्रा ऋण का ब्योरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

कौशल विकास के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में श्री रमेश बिन्द द्वारा 03.04.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *446 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन के तहत कौशल विकास केंद्रों/सस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के तहत अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा भदोही जिला, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के युवाओं को कौशल, पुन: कौशल तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के दौरान भदोही जिला, उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

स्कीम का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (2019-20 से 2021-22)
पीएमकेवीवाई	20004
जेएसएस	5399
एनएपीएस	36
सीटीएस	5779

(ख) पीएमकेवीवाई के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए, जबकि पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) को नियोजन से संबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता देता था। जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश में दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित, प्रमाणित, नियोजित रिपोर्ट किए गए और स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

प्रशिक्षित व्यक्ति	प्रमाणित	सूचित नियोजन
26,831	23,738	1,610

अन्य स्कीमों के संबंध में, तीसरे पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रशिक्षित उम्मीदवारों की आय में वृद्धि या नियोजन के मामले में सफलता मिली है। जहां तक जेएसएस स्कीम के लाभार्थियों का संबंध है, स्कीम की तीसरे पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि जेएसएस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के रूप में, स्व और मजदूरी रोजगार और निजी जॉब संभव हो पाए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्कीम की उपयोगिता इस तथ्य से और स्पष्ट होती है कि लाभार्थी प्रशिक्षुओं में से 77.05% ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण करने वालों में से 63.5% को रोजगार मिला है (वेतन + स्वयं, जिनमें से 6.7 प्रतिशत स्व-नियाजित हैं)।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत दिनांक 08.04.2015 को व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए की गई थी ताकि वे अपनी व्यावसायिक कार्यकलापों को स्थापित या विस्तारित कर सकें। यह स्कीम पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2015 में स्कीम की शुरुआत के बाद से दिनांक 24.02.2023 तक, 22.41 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि के ऋण 39.65 करोड़ से अधिक संख्या में दिए गए हैं। इसमें स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों को स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं।

****